

निर्णय न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

श्री प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी
प्रकरण सं. 105/2022 वादपत्र धारा 53 आर.टी.एक्ट. 1955
शंकरलाल पुत्र स्व. उंकारलाल अहीर नि. बोहेड़ा तह. बड़ीसादड़ी

-वादी

--: बनाम :-

- 1- बद्रीलाल पुत्र गोरधन अहीर नि. बोहेड़ा तह. बड़ीसादड़ी
- 2- प्रतापीबाई पत्नी गोरधन अहीर नि. बोहेड़ा तह. बड़ीसादड़ी
- 3- लेहरी बाई पुत्री गोरधन अहीर नि. बोहेड़ा तह. बड़ीसादड़ी
- 4- लालचंद पुत्र गोरधन अहीर नि. बोहेड़ा तह. बड़ीसादड़ी
- 5- श्यामा बाई पुत्री गोरधन अहीर नि. बोहेड़ा तह. बड़ीसादड़ी
- 6- शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा बोहेड़ा
- 7- भूमिधारी तहसीलदार बड़ीसादड़ी

- प्रतिवादीगण

संक्षिप्त मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण में तहसीलदार बड़ीसादड़ी के द्वारा फर्द बटवाड़ा प्राप्त हो चुका है। माफिक फर्द बटवाड़ा वाद वादी अंतिम डिक्री किया जाता है। आदेश दिया जाता है कि और आदेश डिक्री दी जाती है कि -

मौजा बोहेड़ा पटवार हल्का बोहेड़ा की आराजीयात का विभाजन निम्न प्रकार पक्षकारान के मध्य किया जाता है।

- 1- शंकरलाल पुत्र उंकार लाल अहीर नि. बोहेड़ा. रहन बदस्तुर आई.सी.आई.सी.आई. शाखा बड़ीसादड़ी

आ. नं.	रकबा	लगान
786	0.5100	6.63
2994	0.0400	0.12
2	0.55	6.75

- 2- बद्रीलाल पुत्र गोरधन हि. 6/25 जाति अहीर सा. बोहेड़ा रहन बी.ओ.बी. शाखा बोहेड़ा लेहरीबाई पुत्री गोरधन हि. 6/25 जाति अहीर सा. बोहेड़ा लालचंद पुत्र गोरधन हि. 6/25 जाति अहीर सा. बोहेड़ा, श्यामाबाई पुत्री गोरधन हि. 6/25 जाति अहीर सा. बोहेड़ा, सत्यनारायण पुत्र गोरधन हि. 1/25 जाति अहीर सा. बोहेड़ा

आ. नं.	रकबा	लगान
395	1.4200	18.46
1	1.4200	18.46

(ग्राम बोहेड़ा)

आ. नं.	रकबा	लगान
107	1.4700	19.11
1	1.4700	19.11

(ग्राम सुथारिया खेडा)

इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री बनायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.06.2025 को सरे ईजलास में सुनाया गया।



प्रवीण कुमार मीणा (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
बड़ीसादड़ी



मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6, 7 जा.दी.)

न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

श्री प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी
प्रकरण सं. 105/2022 वादपत्र धारा 53 आर.टी.एक्ट. 1955
शंकरलाल पुत्र स्व. उंकारलाल अहीर नि. बोहेड़ा तह. बड़ीसादड़ी

-वादी

-: बनाम :-

- 1- बद्रीलाल पुत्र गोरधन अहीर नि. बोहेड़ा तह. बड़ीसादड़ी
- 2- प्रतापीबाई पत्नी गोरधन अहीर नि. बोहेड़ा तह. बड़ीसादड़ी
- 3- लेहरी बाई पुत्री गोरधन अहीर नि. बोहेड़ा तह. बड़ीसादड़ी
- 4- लालचंद पुत्र गोरधन अहीर नि. बोहेड़ा तह. बड़ीसादड़ी
- 5- श्यामा बाई पुत्री गोरधन अहीर नि. बोहेड़ा तह. बड़ीसादड़ी
- 6- शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा बोहेड़ा
- 7- भूमिधारी तहसीलदार बड़ीसादड़ी

- प्रतिवादीगण

यह वाद आज दिनांक को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और आदेश डिक्री दी जाती है कि -

मौजा बोहेड़ा पटवार हल्का बोहेड़ा की आराजीयात का विभाजन निम्न प्रकार पक्षकारान के मध्य किया जाता है।

- 1- शंकरलाल पुत्र उंकार लाल अहीर नि. बोहेड़ा. रहन बदस्तुर आई.सी.आई.सी.आई. शाखा बड़ीसादड़ी

आ. नं.	रकबा	लगान
786	0.5100	6.63
2994	0.0400	0.12
2	0.55	6.75

- 2- बद्रीलाल पुत्र गोरधन हि. 6/25 जाति अहीर सा. बोहेड़ा रहन बी.ओ.बी. शाखा बोहेड़ा लेहरीबाई पुत्री गोरधन हि. 6/25 जाति अहीर सा. बोहेड़ा लालचंद पुत्र गोरधन हि. 6/25 जाति अहीर सा. बोहेड़ा, श्यामाबाई पुत्री गोरधन हि. 6/25 जाति अहीर सा. बोहेड़ा, सत्यनारायण पुत्र गोरधन हि. 1/25 जाति अहीर सा. बोहेड़ा

आ. नं.	रकबा	लगान
395	1.4200	18.46
1	1.4200	18.46

(ग्राम बोहेड़ा)

आ. नं.	रकबा	लगान
107	1.4700	19.11
1	1.4700	19.11

(ग्राम सुथारिया खेड़ा)

इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।

इस वाद के खर्चे..... प्रतिशत प्रतिवर्ष की दरा से ब्याज सहीत..... को दी जावे। यह आज दिनांक 30.06.2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गयी।



प्रवीण कुमार मीणा (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
बड़ीसादड़ी

न्यायालय सहायक कलक्टर, बड़ीसादड़ी जिला चिन्तौड़गढ़

क्रमांक राजस्व/2025/110

दिनांक : 27/06/2025

मूल ही तहसीलदार बड़ीसादड़ी को भेज कर लेख है कि उपरोक्तानुसार पालना कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवायें।



सहायक कलक्टर
बड़ीसादड़ी